

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2025

विषय:- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत राज्यांश रू० 175.01 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयक आपके पत्र संख्या-एस.एम.एम.यू./2830/39(8)/2025, दिनांक 14.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमृत-2.0 योजनान्तर्गत फण्डिंग पैटर्न के परिवर्तन के फलस्वरूप रू० 175.01 करोड़ (रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ एक लाख मात्र) अवशेष राज्यांश की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत-2.0 योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीय बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।
- (2) प्रश्रुत धनराशि का व्यय अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।
- (4) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (6) प्रश्रुत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (7) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
- (8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217051918905 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217051918905 अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (10 लाख से	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	25,00,00,000 (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)

		अधिक जनसंख्या वाले शहर)	
	कुल		25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217051928905 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्साफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217051928905 अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्साफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)
	कुल		25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217051938905 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्साफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217051938905 अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्साफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1,25,01,00,000 (रुपये एक अरब पच्चीस करोड़ एक लाख मात्र)
	कुल		1,25,01,00,000 (रुपये एक अरब पच्चीस करोड़ एक लाख मात्र)
महायोग			1,75,01,00,000 (रुपये एक अरब पचहत्तर करोड़ एक लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-600-X-2024-25, दिनांक- 17 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
17.03.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-752/2025/1351(1)/नौ-5-2025/006-E-1445206, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (3) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (4) निदेशक(अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (5) प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- (7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (9) अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ।
- (10) निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- (12) गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
14.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।